G.O.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FOREST
PARYAVARAN BHAWAN,
C.G.O. COMPLEX
LODHI ROAD, NEW DELHI-110005.

No.8-10/94-F.C. Dated 14.10.1996

To,

The Secretary (Forests),
Government of Uttar Pradesh,
Lucknow.

Sub: Renewal of lease over 38.259 ha. Of forest land for laying of 132 KV Transmission Line in favour of Renusagar Power Company Ltd. in Sonebhadra District.

Sir,

I am directed to refer to your letter No.69007/14-2-93-145(233)/64 dated 23.12.93 on the above mentioned subject seeking prior approval of the Central Government in accordance with Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980.

After careful consideration of the proposal of the State Government, the Central Government, hereby, conveys its approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, for renewal of lease for a period of 25 years over 38.259 ha. of forest land for laying of 132 KV Transmission Line in favour of Renusagar Power Company Ltd. in Sonebhadra District, subject to the following conditions:

(i) The legal status of forest land will remain unchanged.
(ii) The maximum width of right of way for the transmission line on forest land will be 27 mtr.
(iii) Felling/pollarding/pruning of trees will be done with the permission of the local forest officer whenever necessary to maintain the electrical clearance. One outer strip shall be left clear to permit maintenance of the transmission line.
(iv) Minimum clearance between conductors and trees shall be maintained at 4 mtrs.
(v) Any other condition that the State Government may impose.

Yours faithfully,
Sd.
A.N. SHARAN
ASSTT. INSPECTOR GENERAL OF FORESTS

Copy to:

1- Principal Chief Conservator of Forests, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.
2- Nodal Officer, Office of PCCF, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow
3- The CCF (Central), Regional Office, Lucknow

HINDALCO INDUSTRIES LTD. RENUKOOT

16/2/18

(10)

संख्या: 6619/14-2-97-145(233)/94

प्रेषक,

डी0के0 प्रजापति
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक
वन उपयोग वृत्त
उ0प्र0 लखनऊ।

लखनऊ: दिनांक: 22 मई, 1998.

वन अनुभाग-2

विषय:- जनपद सोनभद्र में रेणुसागर पावर कम्पनी लिमिटेड को 132 के0वी0 विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण एवं संचालन हेतु हस्तान्तरित 38.2591 हे0 आरक्षित वनभूमि के पट्टे का 25 वर्षों के लिए नवीनीकरण किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1215/11-सी-96 दिनांक 25-10-1993 तथा पत्रांक 1198/11 सी-96(डी)(सोनभद्र) दिनांक 19 मार्च 1996 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जनपद सोनभद्र में रेणुसागर पावर कम्पनी लिमिटेड को 132 के0वी0 विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण एवं संचालन हेतु शासनादेश संख्या:8445/XIV-बी-145(233)/64 दिनांक 9-2-1966 द्वारा 25 वर्षों के लिए पट्टे पर हस्तान्तरित की गयी 38.2591 हे0 आरक्षित वनभूमि, जिसकी अवधि 8-2-1991 को समाप्त हो चुकी है, के पट्टे का नवीनीकरण को 9-2-1991 से आगे 25 वर्षों के लिए किये जाने हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक 8-10-/94-एफ.सी. दिनांक 19-10-96 द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक अनुमति व निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- वनभूमि के लीज नवीनीकरण किये जाने के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा वह पूर्व की भांति वन-भूमि बनी रहेगी।

2- वनभूमि पर ट्रांसमीशन लाइन की राइट आफ वे अधिकतम 27. मी0 होगी।

3- विद्युत पारेषण लाइन चालू रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर वृक्षों का पातन/लाटछांट स्थानीय वन अधिकारी की अनुमति से ही किया जायेगा। ट्रांसमीशन लाइन के रखरखाव हेतु एक [illegible] लिया जायेगा।

16/2/10

HINDALCO INDUSTRIES LTD ★ RENUKOOT

शुल्क की धनराशि लेखा शीर्षक "0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-60। अन्य प्रशासनिक-801-सेवायें और सेवा फीस-01- की गयी सेवाओं के लिये भुगतानों की उगाही" के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा करके ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टाविलेख के अभिलेख के साथ एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 867/दस-79 दिनांक: -5-78 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0के0 पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या: 4019(1)/14-2-97-उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन सी0जी0ओ0 काम्प्लेक्स लोदी रोड नई दिल्ली।
2- महालेखाकार प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- जिलाधिकारी सोनभद्र।
4- वन संरक्षक, मिर्जापुर वृत्त [illegible] वाराणसी।
5- प्रभागीय वनाधिकारी रेनूकूट वन प्रभाग रेनूकूट।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
7- सीनियर वाइस प्रेसीडेन्ट हिण्डालको इन्डस्ट्रीज लि0, 23 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
8- महा प्रबन्धक, मै0 हिण्डालको इन्डस्ट्रीज रेनूकूट।

आज्ञा से,

(दया शंकर)
उप सचिव।

16/2/18

HINDALCO INDUSTRIES LTD. RENUKOOT

पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ दिया जायेगा।

4- कन्डक्टर व वृक्षों के बीच न्यूनतम क्लीयरेंस 4 मीटर का रखी जायेगी।

5- ट्रान्समीशन लाइन एवं टावर्स की नवीनतम ऊँचाई कम से कम इतनी हो कि उससे वन्य जन्तुओं को कोई क्षति न पहुँचे।

6- कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वनभूमि के क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य नहीं कराया जायेगा।

7- कम्पनी के अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या अन्य कोई व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उनके द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचती है अथवा पहुँचाई जाती है तो इसके लिए प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर उक्त इकाई द्वारा देय होगा।

8- प्रश्नगत वनभूमि कम्पनी के उपयोग में पट्टा नवीनीकरण की अवधि के अन्दर तब तक बनी रहेगी जब तक याचिक को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि इकाई को उक्त वन भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथा स्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग जो याचक के लिये आवश्यक न रहे वन विभाग को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वापस हो जायेगी।

9- वन विभाग अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें लीज पर दिये गये भूखण्ड में प्रवेश करने व निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

10- वन क्षेत्र में परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिए वनों को हानि नहीं पहुँचायेंगे।

11- रेणुसागर पावर कम्पनी लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत वनभूमि के पट्टे का लीज रेंट उक्त वनभूमि का वर्तमान बाजार मूल्य के समतुल्य प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट की दर से नियमित रूप से भुगतान किया जायेगा। वनभूमि का वर्तमान बाजार मूल्य जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित किया जाय।

12- रेणुसागर पावर कम्पनी लिमिटेड द्वारा लीज नवीनीकरण के पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्याय विभाग द्वारा निर्धारित विधीक्षण

..3/

HINDALCO INDUSTRIES LTD★ RENUKOOT